भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 116*

(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पृथक धनराशि

***116. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए पृथक धनराशि का प्रावधान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त धनराशि का प्रावधान न करने अथवा सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत कार्य में अंशदान न करने के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 116 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) जी, हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशानिर्देशानुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों द्वारा पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण कम से कम 10 वर्ष की डिज़ाइन अवधि के साथ किया जाता है। इस डिज़ाइन अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव की लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में समाहित होती है।

पीएमजीएसवाई के स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार, सभी सड़क कार्यों के प्रारम्भिक पांच वर्ष (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (डीएलपी)) के रखरखाव का अनुबंध, निर्माण कार्य के अनुबंध के साथ उसी कांट्रेक्टर के साथ किया जाता है। संविदा को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा रखरखाव निधि का बजट तैयार किया जाना और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना आवश्यक है। निर्माण के बाद डीएलपी के समाप्त हो जाने पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को जोनल रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है , जिसमें समय-समय पर चक्रानुसार नवीनीकरण सहित 5 साल का रखरखाव शामिल है।

डीएलपी, और डीएलपी के बाद के चरण में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की आईटी आधारित निगरानी के लिए ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) शुरू किया गया है। कांट्रेक्टर को भुगतान ई-मार्ग के माध्यम से करना होता है , जो सड़क की वर्तमान स्थिति, उसके क्रॉस ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों पर आधारित होता है।

महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों ने डीएलपी, और डीएलपी के बाद की अवधि के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार , ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यों को अपने निधि मांग प्रस्तावों के साथ कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार रखरखाव निधि की यथोचित विमुक्ति को प्रमाणित करना भी आवश्यक है।

विभिन्न स्तरों पर राज्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में रखरखाव निधि के उपयोग की समीक्षा की जाती है। कमियों को राज्यों के संज्ञान में लाया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए आग्रह किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों का अच्छा रखरखाव हो।

******